निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 फाल्गुन 1944 (श0)
(सं0 पटना 245) पटना, सोमवार, 20 मार्च, 2023

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

बिहार काश्तकारी (संशोधन) नियमावली, 2023

अधिसूचना
17 मार्च, 2023

सं० 08/नियम संशोधन–07–01/2021–.209(8)/रा0––बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 189 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार बिहार काश्तकारी नियमावली, 1885 (समय–समय पर यथासंशोधित) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है:–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।–(1) यह नियमावली ''बिहार काश्तकारी (संशोधन) नियमावली, 2023'' कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. बिहार काश्तकारी नियमावली, 1885 के नियम–23(2)(i) का प्रतिस्थापन।–नियमावली के नियम 23(2)(i) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

''किसी हितबद्ध रैयत द्वारा अपनी रैयती जमीन की मापी हेतु विहित प्रपत्र–36 (यथा संशोधित) में क्षेत्र के अंचल अधिकारी के समक्ष ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन माध्यम से आवेदन–पत्र समर्पित किया जायेगा। मापी से संबंधित आवेदन–पत्र के साथ रैयत द्वारा जमीन पर अधिकार से संबंधित साक्ष्य की प्रति संलग्न किया जाना आवश्यक होगा। उपर्युक्त विधि से निजी रैयती जमीन की मापी हेतु आवेदन–पत्र समर्पित किये जाने के साथ ही हितबद्ध रैयत द्वारा निर्धारित मापी शुल्क अंचल नजारत में ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन विधि से जमा किया जायेगा। परन्तु, सुयोग्य श्रेणी के वास भूमिहीन परिवारों/व्यक्तियों को बंदोबस्त/आवंटित किसी खेसरा (भू–खण्ड) की मापी निःशुल्क की जायेगी। जमीन से संबंधित मापी हेतु प्राप्त आवेदन–पत्र की जांचोपरांत अंचल अधिकारी संतुष्ट होने के पश्चात् याचित जमीन की मापी हेतु अंचल अमीन को आदेश अभिलेख में देंगे। जमीन की मापी हेतु निर्धारित तिथि की सूचना आवेदक अथवा हितबद्ध भू–धारी को इलेक्ट्रॉनिक विधि के साथ–साथ पारम्परिक विधि से दी जायेगी। निर्धारित तिथि को किसी अपरिहार्य कारणवश मापी संभव नहीं होने की स्थिति में आवेदक अथवा हितबद्ध भू–धारी को मापी हेतु निर्धारित अगली तिथि की सूचना इलेक्ट्रॉनिक विधि के साथ–साथ पारम्परिक विधि से दी जायेगी। मापी शुल्क जमा किये जाने के पश्चात् अधिकतम 30 कार्यदिवस के अंदर याचित जमीन की मापी

कराते हुए अंचल अधिकारी मापी प्रतिवेदन ऑनलाइन आवेदन की स्थिति में ऑनलाइन अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे एवं ऑफलाइन आवेदन की स्थिति में ऑफलाइन देना सुनिश्चित करेंगे।

वैसे मामले जिसमें तत्काल मापी हेतु आवेदन प्राप्त होता है, उन मामलों में अधिकतम 10 (दस) कार्यदिवस के अंदर जमीन की मापी करवाना अंचल अधिकारी सुनिश्चित करेंगे।''

3. बिहार काश्तकारी नियमावली, 1885 के नियम–23(2)(i) के पश्चात् नया उप नियम (2)(i)(क)जोड़ा जायेगा।–

23(2)(i)((क) नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्र में अवस्थित रैयती जमीन की मापी हेतु प्रति खेसरा ₹ 1000/– एवं अधिकतम ₹ 4000/– (खेसरों की संख्या चार या चार से अधिक खेसरा होने पर) मापी शुल्क निर्धारित किया जाता है, जिसे आवेदक द्वारा ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन जमा किया जायेगा।

ग्रामीण क्षेत्र में प्रति खेसरा ₹ 500/– एवं अधिकतम ₹ 2000/– (खेसरों की संख्या चार या चार से अधिक खेसरा होने पर) मापी शुल्क निर्धारित किया जाता है, जिसे आवेदक द्वारा ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन जमा किया जायेगा।

शहरी क्षेत्र में तत्काल मापी हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में प्रति खेसरा ₹ 2000/– एवं अधिकतम ₹ 8000/– (खेसरों की संख्या चार या चार से अधिक खेसरा होने पर) मापी शुल्क निर्धारित किया जाता है, जिसे आवेदक द्वारा ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन जमा किया जायेगा।

ग्रामीण क्षेत्र में तत्काल मापी हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में प्रति खेसरा ₹ 1000/– एवं अधिकतम ₹ 4000/– (खेसरों की संख्या चार या चार से अधिक खेसरा होने पर) मापी शुल्क निर्धारित किया जाता है, जिसे आवेदक द्वारा ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन जमा किया जायेगा।

अंचल अमीन द्वारा मापी की कार्रवाई अधिकतम 02 (दो) कार्य दिवस के भीतर निष्पादित किया जायेगा।

जमीन की मापी हेतु आवेदन–पत्र ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व मौजावार एवं शहरी क्षेत्र में वार्डवार अलग–अलग समर्पित किया जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश मेहरोत्रा,
अपर मुख्य सचिव।

प्रपत्र–36 (यथा संशोधित)

(देख नियम–23(2) एवं 23(3))

अमीन के द्वारा जमीन की मापी हेतु आवेदन का प्रपत्र

सेवा में,

अंचल अधिकारी
अंचल..........................
अनुमंडल...................
जिला..........................

महाशय,

मैं/हमलोग अपनी रैयती जमीन की मापी अंचल अमीन के द्वारा कराना चाहते हैं। मेरा/हमलोगों का विस्तृत विवरण निम्नवत् है–

नाम	पिता का नाम	निवास स्थान	अंचल/जिला	मोबाईल नं0	आधार नं0	अभ्युक्ति

2. याचित जमीन का विस्तृत विवरण–

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकवा (एकड़ में)	चौहद्दी	राजस्व मौजा/ वार्ड सं0	राजस्व थाना संख्या

3. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले जमीन पर अधिकार से संबंधित साक्ष्य/साक्ष्यों की प्रति/प्रतियां।–

सर्वे खतियान की प्रति/ प्रतियां	लगान रसीद की प्रति/ प्रतियां	दाखिल खारिज की स्वीकृति के पश्चात् निर्गत शुद्धि–पत्र की प्रति/प्रतियां	खेसरा पंजी/ चालू खतियान की प्रविष्टि से संबंधित प्रति/ प्रतियां	जमीन के क्रय से संबंधित पंजीकृत दस्तावेज की प्रति/प्रतियां	सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति/ प्रतियां	सरकार द्वारा जमीन की बंदोवस्ती/आवंटन से संबंधित साक्ष्य की प्रति/ प्रतियां	अन्य साक्ष्य

नोट–आवेदक जमीन की मापी हेतु ऑफलाइन/ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ जमीन पर अधिकार से संबंधित संलग्न किये जाने वाले साक्ष्य/साक्ष्यों के नीचे
(√) लगा दें।

मैं/हमलोग अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त भूमि की मापी अंचल अमीन से कराने की कृपा की जाय, जिसके लिए अधोहस्ताक्षरी के द्वारा निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा किया गया है।

विश्वासभाजन

याचिकाकर्त्ता(ओं) का हस्ताक्षर एवं नाम

1.........................
2.........................
3.........................
4.........................
तिथि.............................

The 17th March, 2023

No.-08/niyam sanshodhan-07-01/2021-209(8)/Ra.--In exercise of the powers conferred under section 189 of The Bihar Tenancy Act, 1885, the State Government hereby makes the following rules to amend The Bihar Tenancy Rules, 1885 (as amended from time to time).-

1. Short title, extent and commencement.-(1) This rule may be called the **"Bihar Tenancy (Amendment) Rules, 2023."**

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. **Substitution of Rule-23(2)(i) of the Bihar Tenancy Rules, 1885**.-Rule-23(2)(i) of the said Rule shall be substituted by the following:-

"Any raiyat having interest on the land may file a petition for the measurement of his raiyati land in the prescribed form-36 (as amended) before the Circle Officer of the area through offline or online medium. It shall be mandatory to attach a copy of the evidence related to the right on the land by the raiyat along with the application form for the measurement. The prescribed measurement fee is required to be deposited in the Anchal Nazarat through offline or online method by the interested raiyat along with the application form for measurement of private raiyati land under the procedure mentioned above. Provided that the measurement of any Khesra (Plot) allotted to landless families/persons of eligible category will be done free of cost. After verification of the application received for the measurement of land, the Circle Officer, after being satisfied, will pass an order on record to the Amin for the measurement of the requested land. Intimation of the date fixed for the measurement of land will be given to the applicant or the interested landholder through electronic method as well as by traditional method. In case the measurement is not possible due to any unavoidable reason on the fixed date, the applicant or the interested landholder will be informed about the next date fixed for measurement by electronic method as well as by traditional method. After depositing the measurement fee, the Circle Officer will ensure the measurement report be uploaded online in case of online application and providing offline in case of offline application, within a maximum of 30 working days.

In such cases, where the application for immediate measurement is received, the Circle Officer will ensure that the land is measured within a maximum of 10 (ten) working days.

3. **Addition of new sub-rule (2)(i)(a) after rule of 23(2)(i) of Bihar Tenancy Rules, 1885.-**The following new sub-rule 23(2)(i)(a) shall be added after rule 23(2)(i) of The Bihar Tenancy Rule.-

23(2)(i)(a) For the measurement of raiyati land located in Municipal Corporation, Municipal Council and Nagar Panchayat area, per Khesra ₹ 1000/- and maximum ₹ 4000/- (If the number of plots is four or exceeding four) measurement fee is fixed, which will be deposited offline or online by the applicant.

In rural areas, per khesra ₹ 500/- and maximum ₹ 2000/- (If the number of plots is four or exceeding four) measurement fee is fixed, which will be deposited offline or online by the applicant.

In the case of application received for immediate measurement in urban area per Khesra, ₹ 2000/- and maximum ₹ 8000/- (If the number of plots is four or exceeding four) measurement fee is fixed, which will be deposited offline or online by the applicant.

In the case of the application received for immediate measurement in rural areas per Khesra, ₹ 1000 /- and maximum ₹ 4000 /- (If the number of plots is four or exceeding four) measurement fee is fixed, which will be deposited offline or online by the applicant.

Measurement work will be executed by Amin within a maximum of 02 (two) working days.

The application form for measurement of land will be submitted separately in rural areas, revenue mauza wise and ward-wise in urban areas.

By order of the Governor of Bihar,

Brijesh Mehrotra,

Additional Chief Secretary.

Form-36 (as amended)
(See rule-23(2) and 23(3))
Format of application for measurement of land from Amin

To,

Circle Officer,
Anchal ....
Sub-division....................
District..........................

Sir,

I/We want measurement of our raiyati land from Anchal Amin. The detailed description of me/us is given below.-

Name	**Father's Name**	**Place of Residence**	**Anchal /District**	**Mobile No.**	**Aadhaar No.**	**Remark**

2. Detailed description of the requisitioned land.-

Khata No.	**Khesra No.**	**Rakwa (in Acre)**	**Boundary**	**Revenue Mouja / Ward No.**	**Revenue Thana No.**

3. Copy/ Copies of the evidence/evidences relating to the right to the land to be attached with the application form.-

Copy/ Copies of Survey Khatian	**Copy/ Copies of rent receipt**	**Copy/Copies of Correction-Slip issued after approval of Mutation**	**Copy/Copies relating to the entry of Khesra Register/ Current Khatian**	**Copy/Copies of the registered document relating to the purchase of land**	**Copy/Copies of the order passed by the Competent Court**	**Copy/Copies of evidence relating to settlement / allotment of land by the Government**	**Other evidence**

Note - The applicant would put (√) below the evidence/evidence relating to the right on the land enclosed with the offline/online application for measuring of land.

I/We request you to kindly the measurement of the above mentioned land from the Anchal Amin, for which the prescribed fee has been deposited online by the undersigned.

Your's Faithfully,

Signature and name of the petitioner(s)
1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
Date. ....

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 245-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in